उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या सा-3- 893 /दस- 88-912/85
लखनऊ : दिनांक : 2 जून, 1988

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिये राज्य सरकार ने पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खाद्य तथा रसद विभाग, वन विभाग, बिक्रीकर विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुधन विभाग तथा शिक्षा विभाग के पेंशन देयों को स्वीकृति की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करके इन विभागों से संबंधित पेंशन तथा अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति आदि के कार्यों को महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर उसे विभागीय मुख्य लेखाधिकारियों के माध्यम से करवाने के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया के अच्छे परिणामों तथा फरवरी, 1987 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में की गई संस्तुति "कि राजस्थान सरकार की भांति अन्य राज्य सरकारों द्वारा अपने सेवकों के पेंशन संबंधी कार्य को महालेखाकार कार्यालयों से वापस लेकर स्वयं कराया जाये" के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त 13 विभागों, जिनका प्रश्नगत कार्य पहले ही महालेखाकार कार्यालय से वापस लिया जा चुका है, के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों (भारतीय सेवा के अधिकारियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों राजनैतिक पेंशनरों विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को छोड़कर) के सरकारी कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभों यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन के राशिकरण आदि के प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के कार्य को 1 अक्टूबर, 1988 से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से वापस लेने तथा उसे सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिये एक पेंशन

(1) शा0आ0सं0 सा-3-1446(1)/दस-912/85, दिनांक 6-8-85	
(2) शा0आ0सं0सा-3-1480/दस-912/85, दिनांक 6-8-86	
(3) शा0आ0संख्या सा-3-555/दस-912/85, दिनांक 19-3-87	

.....2.

अक्तूबर, 1989 से पेंशन निदेशालय की स्थापना करने एवं उसके कार्य को समुचित एवं सुचारू रूप से सम्पादित एवं संचालित करने के लिये संलग्नक-1 में उल्लेखित अस्थायी पदों को उनके समक्ष अंकित वेतनमानों में इस शासनादेश की तिथि या नियुक्ति की तिथि जो कि बाद में हो से 28.2.89 तक, यदि इसके पूर्व ही उन्हें किसी सूचना के बिना समाप्त न कर दिया जाये, के लिये सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

5. संलग्नक-1 में उल्लेखित पदों के धारकों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई एवं अन्य भत्ते, जो भी नियमानुसार अनुमन्य हों, भी देय होंगे ।

6. पेंशन निदेशालय की स्थापना के बाद पेंशन अधिकारी के कार्यालय के कार्यकलाप व संलग्नक-2 के में उनके कार्यालय के लिये स्वीकृत स्टाफ/पद के अलग से बने रहने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नहीं है, अतः राज्यपाल महोदय पेंशन अधिकारी के कार्यालय को पेंशन निदेशालय में सम्मिलित करके उसे समाप्त करने तथा उसके लिये स्वीकृत स्टाफ को संलग्नक-1 में निदेशालय के लिये स्वीकृत समकक्षीय पदों में समायोजित करने एवं संलग्नक-2 में उल्लेखित अस्थाई पदों को समायोजन की तिथि से समाप्त करने तथा स्थाई पदों को आस्थगित रखने के लिये भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। पेंशन अधिकारी के कार्यालय के सभी कर्मचारी पेंशन निदेशालय में ही कार्य करेंगे। पेंशन नियंत्रकों को निदेशालय के लिये स्वीकृत लेखाकारों के पदों के समक्ष उसी वेतनमान में समायोजित कर दिया जायेगा। अन्य कर्मचारियों को उनके समकक्षीय पदों पर या उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर उच्च पदों पर निदेशालय में समायोजित कर दिया जायेगा ।

7. चूंकि पेंशन संबंधी कार्य के लिये अनुभवी कर्मचारियों व अधिकारियों की आवश्यकता है। अतः पेंशन निदेशालय के लिये स्वीकृत पदों में से निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के पद वित्त एवं लेखा संवर्ग से तथा सहायक लेखाधिकारियों के पद सहायक लेखाधिकारी संवर्ग से भरे जायेंगे तथा संबंधित सेवा संवर्गों में अस्थाई संपृक्ति के रूप में होंगे। लेखाकारों के पदों को वित्त विभाग के अधीन विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागाध्यक्षों व महालेखाकार के कार्यालयों से उपयुक्त एवं अनुभवी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जायेगा, लेकिन अन्य विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार के कार्यालयों से लिये/कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। शेष पदों को नियमानुसार

.....4.

सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा ।

8• राज्यपाल महोदय पेंशन निदेशालय के लिये निम्नलिखित साज-सज्जा, मशीनों, स्टाफ कार, टेलीफोन आदि की व्यवस्था के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 6,64,000रू0 (छः लाख चौंसठ हजार रूपये मात्र) के अनावर्तक व्यय को भी स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) टाइपराइटर	10	60,000 रू0
(2) साइक्लोस्टाइल मशीन	1	8,000 रू0
(3) फोटो कापियर्स	1	1,50,000 रू0
(4) फर्नीचर		3,00,000 रू0
(5) स्टाफ कार	1	1,10,000 रू0
(6) टेलीफोन	4	36,000 रू0
(संख निदेशक व संयुक्त निदेशक के लिये एक-एक कार्यालय हेतु तथा एक-एक आवास हेतु)		
	योग	6,64,000 रू0

9• उक्त मशीनों, फर्नीचर, स्टाफ कार, टेलीफोन की व्यवस्था स्टोर परचेज रूल्स व शासन के संगत नियमों एवं आदेशों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

10• पेंशन निदेशालय के लिये संलग्नक-3 में उल्लेखित मदों के अन्तर्गत कुल 29,63,000 रू0 के व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्रावधान किया गया है। इस धनराशि का व्यय शासन के संगत आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

11• उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "2054-राजकोष और लेखा प्रशासन-आयोजनेतर-800-अन्य व्यय (अनुदान संख्या 58) -01-पेंशन निदेशालय" के नामे लिखा जायेगा ।

12• राज्यपाल महोदय पेंशन निदेशालय के निदेशक को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -1, II (भाग-2 से 4), III तथा (भाग-1) एवं जी0पी0एफ0 रूल्स में उल्लेखित संगत नियमों के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष एवं उसके अराजपत्रित

अधिष्ठान के नियुक्ति प्राधिकारी एवं विभागाध्यक्ष तथा पेंशन निदेशालय के बजट के लिये नियंत्रक अधिकारी घोषित करते हैं ।

(बी०के० सक्सेना)
प्रमुख सचिव ।

सेवा में,

शासन के समस्त सचिव, विशेष सचिव
एवं विभागाध्यक्ष ।

संख्या सा-3-893(1)/दस-88-912/85 तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
(गणेश दत्त दीक्षित)
उप सचिव ।

संख्या सा-3-893(1)/दस-88-912/85, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जिलाधिकारियों एवं कोषाधिकारियों सीतापुर ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3. महालेखाकार, लेखा एवं आडिट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. पेंशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, वन, ग्राम्य विकास, सचिवालय प्रशासन, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग,

·····6·

राजस्व विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, बिक्रीकर विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, पशुधन विभाग ।

आज्ञा से,

§ गणेश दत्त दीक्षित §
उप सचिव ।